


## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता जो कि उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था/में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी की आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 07 में अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्र. सं.	विषय	नाम व्याख्याता	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान (राउमावि. /राबाउमावि.)	जिला	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	अर्थशास्त्र	निशा भाटिया	17-01-1960	लीडी, अजमेर	अजमेर	31-01-2020


- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

  
 08/01  
 (हिमांशु गुप्ता)  
 आई.ए.एस.  
 निदेशक  
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
 बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-5/सेवानिवृत्ति/2019-20  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

दिनांक:- 09/01/2020

- निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
- संबंधित जिला शिक्षा (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
- अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- संबंधित प्रधानाचार्य/नियन्त्रण अधिकारी को प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है कि सूची में उल्लेखित सेवानिवृत्त होने वाले प्राध्यापक से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही, आगामी कार्यवाही अमल में लावें।
- संबंधित कार्मिक.....
- रक्षित पत्रावली/गार्ड पंजिका।

  
 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
 बीकानेर